



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bseabihar.gov.in, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 09/09/2022

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/नि० 1-08/2021 1707 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-748 दिनांक 23.05.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ पटना जिला के मसौदी प्रखंड अंतर्गत भैसवाँ पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1011 दिनांक 20.06.2022 द्वारा स्थगित किया गया था। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन से पूर्व सूचना का प्रकाशन, नामांकन एवं संवीक्षा की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी।

अतः उक्त आलोक में भैसवाँ पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या-748 दिनांक 23.05.2022 के क्रम में स्थगन के प्रक्रम से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	19.09.2022 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(ii)	मतदान, अगर आवश्यक हो	27.09.2022 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(iii)	मतगणना	27.09.2022 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(iv)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	29.09.2022 (गुरुवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में भैसवाँ पैक्स के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, डोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 15.09.2022 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bseabihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

5. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 29.09.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।

6. अधिसूचना संख्या 748 दिनांक 23.05.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरुषोत्तम पसिवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1707

पटना/ दिनांक 09/09/2022

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(पुरुषोत्तम पसिवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1707

पटना/ दिनांक 09/09/2022

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.), पटना/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी, पटना/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ अपर समाहर्ता, पटना/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.), मसौदी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पुरुषोत्तम पसिवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1707

पटना/ दिनांक 09/09/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पुरुषोत्तम पसिवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1707

पटना/ दिनांक 09/09/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पुरुषोत्तम पसिवान)

सचिव।